

मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले में लघु उद्योगों के विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. धीरज शर्मा*
लखन लाल चौकसे**

सार

मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में लघु उद्यम क्षेत्र का अतुलनीय योगदान रहा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 50 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां आती हैं। लघु उद्यम क्षेत्र द्वारा लगभग 5000 से भी अधिक पारंपरिक एवं हाईटेक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन इकाइयों द्वारा राज्य के 40 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार प्रदान करने, एवं नवप्रवर्तनशीलता को प्रोत्साहित करने में यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की केन्द्र एवं मध्यप्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में लघु उद्यम का महत्व स्वीकारते हुए इसके विकास हेतु उन्हें प्रेरित करने हेतु अनेक नीतिगत कदम उठाये गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु योजनाएँ, गुणवत्ता में सुधार हेतु नीतियां ऋण पाने हेतु अनेक योजनाएँ एवं उत्पादों को बाजार में विक्रय हेतु नीतियां शामिल हैं। भारत की केन्द्र तथा राज्य सरकारें लघु उद्यम के विकास हेतु विभिन्न संस्थागत एवं नीतिगत प्रयास करती हैं। ये नीतियां लघु उद्योगों के वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले में लघु उद्योगों की क्या संभावनाएं हैं एवं इसके सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। उद्यमियों की व्यापार संचालन में आने वाली समस्याओं और समाधान को प्रस्तुत शोधपत्र में दर्शाया गया है एवं निष्कर्ष निकाले गए हैं।

शब्दकोश: लघु उद्योग, आर्थिक विकास, श्रमशक्ति एवं रोजगार।

प्रस्तावना

आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उद्योगों में विशेषकर लघु उद्योगों का विशिष्ट स्थान होता है क्योंकि यह काम पूँजी, कम साधन एवं बिना प्रशिक्षण के परम्परागत रूप से संचालित किये जाते हैं। यद्यपि लघु उद्योगों में अनेक समस्याएं भी हैं जैसे पूँजी की कमी, कच्ची सामग्री की समस्या, उत्पादन की धीमी गति, बाजार का अभाव, सरकारी उदासीनता एवं नवाचार का अभाव आदि। लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्पादित वस्तुओं को नवीन डिजाइनों में तैयार करना चाहिए। इन उद्योगों का पर्याप्त वित्त एवं मशीनों को उपलब्ध कराना चाहिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता, उद्यमियों को विभिन्न वित्तों, माध्यमों, तकनीकी आदि जानकारी के समुचित प्रचार – प्रसार होना, अनुदान के लिए सरल एवं स्पष्ट नियम होना चाहिए ताकि उद्यमियों को अनुदान प्राप्त हो सकें। लघु उद्योगों की वस्तुएं घरेलू उपयोग के साथ – साथ विदेशों को भी निर्यात की जाती हैं अतः इन उद्योगों का महत्व औद्योगिक, रोजगार निर्माण, निर्यातानुमुखी वस्तुओं को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

* सहायक प्राध्यापक एवं शोधनिर्देशक, वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, खातेगाँव, मध्यप्रदेश।

** शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश।

साहित्य पुनरावलोकन

साहित्य पुनरावलोकन में शोध पत्रों पुस्तकों एवं रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है।

शर्मा अशोक (2011) इस शोध अध्ययन में पाया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास में कार्यरत पूँजी की उपलब्धता एवं उचित प्रबन्धन सहायक सिद्ध होगा, जो नियति एवं रोजगार सृजन में कारगर सिद्ध होता है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को आर्थिक एवं नीतिगत सरकारी योजना बनाकर समस्याएँ कम एवं तीव्र गति से विकास होगा।

गार्ग सोनू एण्ड अग्रवाल पारुल (2017) "माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया : " रीव्यू ऑफ ग्रोथ एण्ड चैलेंजेस इन द प्रिन्सिपल सेक्टरों "में वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव दिये गये हैं। इन्होंने अपने शोध अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि आर्थिक समस्याओं को हल करने और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए औद्योगीकरण एक प्रभावी उपाय है।

एम. एस. कुमारी लवपा आर. (2017) प्रस्तुत शोधपत्र "इम्पेक्ट ऑफ गुडस एण्ड सर्विस टैक्स ऑन इण्डिया एमएसएमई" में भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के जीएसटी के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालाक है। यह विनिर्माण जीडीपी का लगभग 7 प्रतिशत और सेवाओं का जीडीपी में 31 प्रतिशत योगदान देता है। इस शोधपत्र के प्रमुख उद्देश्य माल और सेवा कर की अवधारणा का समझना, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना। जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अवसरों की जांच करना।

वैकटेश एवं मुथैया (2012) ने अपने शोधपत्र में पाया है कि लघु उद्योग रोजगार के साथ – साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लघु उद्योग सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होगा।

साहित्य पुनरावलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले में लघु उद्योगों के विकास की संभावनाएँ हैं, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

उद्देश्य

इस शोधपत्र के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।

- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लघु उद्योगों के विकास की संभावनाओं का विश्लेषण करना।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लघु उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लघु उद्योगों के विकास के लिए कारकों की पहचान करना।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लघु उद्योगों के विकास के लिए सुझाव देना कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है।

परिकल्पना

प्रमुख परिकल्पना निम्नलिखित है।

- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के लघु उद्योगों के विकास की संभावनाएं सरकारी नीतियों पर निर्भर करती हैं।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के लघु उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों बाजार की मांग एवं प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के लघु उद्योगों के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता और वित्तीय सुविधाओं की आवश्यकता है।
- मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के लघु उद्योगों के विकास के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों का प्रयोग किया गया है। प्राप्त समकों का वर्गीकरण कर सारणीयण एवं विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है।

- **प्राथमिक समंक** – प्राथमिक समंक विभिन्न उद्यमियों के साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार व संख्याओं द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है।
- **द्वितीयक समंक** – द्वितीयक समंक लघु एवं उद्योगों से संबंधित शोध – पत्रिकाएँ सरकारी एवं गैर सरकारी प्रकाशनों, प्रतिवेदनों, गजट, अधिसूचनाओं, जनरल एवं संचार माध्यम से प्राप्त किये गये हैं।

विषय विश्लेषण

- **लघु उद्योगों की संभावनाएं** – लघु उद्योग कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखते हैं एवं ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से लघु उद्योगों के समक्ष चुनौतियां एवं अवसर दोनों ही आये हैं। इसका मुकाबला करने के लिए सरकार, उद्यमियों तथा लघु उद्योग संगठनों को आपस में तालमेल से काम करना होगा, क्योंकि गेम थ्योरी जैसे सिद्धान्तों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वर्तमान में लघु उद्योगों को अनेक सुविधायें मिल रही हैं फिर भी यह सुनिश्चित करना होगा कि लघु उद्योग नवीनतम तकनीक का उपयोग करे तथा गला काट प्रतिस्पर्धा से बचते हुए उच्च स्तर का उत्पादन करे। सरकारी अनारक्षण नीति तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन के फलस्वरूप लघु उद्यमों के सामने प्रतिस्पर्धा की समस्या उत्पन्न हो गई है फिर भी लघु उद्योगों के भविष्य का विवेचन निम्न तर्कों के आधार पर किया जा सकता है –
 - **कृषि के लिए पूरक व्यवसाय** – मध्य प्रदेश का समग्र विकास केवल कृषि से संभव नहीं है कृषि विकास का लाभ प्रत्यक्ष रूप से खेतिहर मजदूर या भूमिहर श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल भी जाता है तो वह नगण्य है। अतः ग्रामीण परिवारों की स्थिति में सुधार के लिये आवश्यक है कि लघु उद्यमों और सहायक व्यवसाय का विकास किया जाये ताकि कृषि कार्य की बदली हुई परिस्थिति और लोगों की रुचि में सामंजस्य से निरन्तर विकास कार्य को गतिमान रखा जा सके। औद्योगीकरण से गैर कृषि साधनों की मांग में वृद्धि हुई है इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि गैर कृषि कार्यों में लग सकने वाले व्यक्तियों या रोजगार अवसरों की सम्भावना भी असीमित है।
 - **उत्पादन का उपयुक्त क्षेत्र** – ग्रामीण आवश्यकतायें अत्यंत वृहत एवं विशाल हैं। जब इन्हें पूरा करने की चेष्टा की जाती है तो ग्रामीणों में एक नई जाग्रति आने की सम्भावना हो जाती है। अतः लोगों की इसमें भागीदारी स्वभाविक है जहां तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को बाह्य रूप से लागू करने का प्रश्न है ग्रामीण इसे राजनीति से प्रेरित मान सकते हैं। इस प्रक्रिया में ग्रामीणों का ध्यान अनावश्यक तथ्यों की और आकर्षित होता है। जबकि ग्रामीण विकास का मौलिक तथ्य अछूता रह जाता है।
 - **अपेक्षाकृत अधिक रोजगारपरक उद्यम** – पूर्ण रोजगार की व्यवस्था एक स्वप्न लगने लगा है। बेरोजगारी के आँकड़े उपलब्ध करने में योजना असफल रहा है तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बहुत स्पष्ट नहीं है। नियोजन प्रक्रिया द्वारा रोजगार के अवसरों को सृजित करने के सभी प्रयास श्रम बाजार में आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने में असफल रहे हैं। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उठाये गये सरकारी कदम प्रभावी साबित नहीं हो सका है अतः लघु उद्योग ही इन अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित करने की क्षमता रखता है।

- **महिला श्रमिकों के लिये विशेष उपयोगी** – प्रौद्योगिकी का पक्ष प्रस्तुत करते समय विभिन्न पैशों में लिंग सहभागिता अनुपात को ध्यान में रखना चाहिये। उदाहरण के लिये विभिन्न प्रक्रिया जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुरुष श्रमिकों का अनुपात अधिक है। यदि प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण महिलाओं की सहभागिता अनुपात में कमी आती हो तो इससे सामाजिक समस्याएँ घटने की बजाय बढ़ेगी इसलिये मशीनों के प्रयोग से महिला रोजगार विपरीत दिशा में प्रभावित न हो इसका ध्यान रखना होगा। अतः स्पष्ट है कि तकनीक का चुनाव केवल श्रम बनाम पूँजी के आधार पर नहीं होना चाहिये बल्कि महिला श्रमिकों के प्रतिस्थापन प्रभाव को ध्यान में रख कर, इन लघु उद्योगों में विशेष रूप से महिला श्रमिकों की सहभागिता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

भविष्य में राज्य का और अधिक विकास करके उद्योगों को रोजगार में अंश बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य में खनन कार्य व लघु उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास करने की सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य की खनिज सम्पदा विपुल माना गई है। राज्य में हथकरघा क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। राज्य में कई प्रकार की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा विद्युत गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र में भी अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तथा उसके जीवन स्तर में सुधार आयेगा। गलीचों, चमड़े की वस्तुओं, हथकरघा की वस्तुओं तथा रत्न आभूषण आदि के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार राज्य में औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना आवश्यक है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भी उपर्युक्त तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लघु उद्योगों का भविष्य अति उज्ज्वल है। वर्तमान में लघु उद्योग बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाकर एवं उत्पाद लागत को क्रम करके ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विकासशील देशों के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम कर सकेगा।

लघु उद्योग में व्याप्त चुनौतियां

लघु उद्योग में व्याप्त चुनौतियां निम्नलिखित हैं।

- **कच्चे माल की समस्या** – अधिकांश लघु उद्योग कच्चे माल हेतु स्थानीय स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन स्थानीय स्रोत दोहरा शोषण करते हैं, जैसे कच्चे माल की ऊंचे दाम पर बेंचना व निर्मित माल कम कीमत पर खरीदना। लघु उद्योग जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन सामान्यतः बड़े उद्योग करते हैं, फलस्वरूप लघु उद्योगी कच्चे माल से वंचित रह जाते हैं, जबकि बड़े उद्योगी कच्चे माल को थोक में खरीद लेते हैं।
- **वित्त की समस्या** – लघु उद्योगों की सर्वाधिक वित्तीय समस्या है, क्योंकि ऐसे उद्योगों को वित्त प्राप्त करने में विशेष कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, जो लघु उद्योगियों के लिए कठिन है इसके अलावा वित्त प्राप्त करने में समय की बर्बादी होती है जिससे लघु उद्योगी निराश होकर बैंक, वित्त निगम व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि का सहारा छोड़कर स्थानीय महाजन अथवा साहूकार से ऋण प्राप्त कर लेता है।
- **बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की समस्या** – भारत में बड़े उद्योग की तरह लघु उद्योग भी स्वतन्त्र अस्तित्व में रहकर उत्पादन क्रियाएँ करते हैं। इससे दोनों प्रकार के उद्योगों में न केवल बाजरी-प्रतिस्पर्धा विपणन के समय उत्पन्न होती है, बल्कि कच्चे माल, वित्त सुविधा प्राप्त करने में भी कलागाट प्रतिस्पर्धा होती है। इसी का परिणाम है कि लघु उद्योग हो जाते हैं।

विपणन की समस्या

- चूकिं ऐसे उद्यमियों की बाजार में कोई दुकाने नहीं होती है, जहाँ उत्पादित माल सरलता से बेचा जा सकें। फलतः फुटपाथ पर वस्तुएँ रखकर विपणन करना पड़ता है।
- ऐसे उत्पादकों को अपनील वस्तुएँ बिचौलिये के हाथों बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें वस्तु की उचित कीमत नहीं मिल पाती है।
- ऐसे उत्पादकों की वस्तुएं प्रमाणीकरण व वर्गीकृत नहीं होती है, अतः प्रत्येक वस्तु का अलग – अलग मूल्य होता है।
- ऐसे उत्पादकों के उपभोक्ताओं की रुचि का ज्ञान नहीं होता है, अतः रुचि के विपरीत वस्तुएँ बेचनी पड़ती है।

प्रमाणीकरण की समस्या

भारतीय लघु उद्योगों का उत्पादन सदैव अप्रमाणित रहता है, जिससे उन्नत किस्म समरूप व वर्गीकृत वस्तुओं का अभाव है। इससे उद्यम के श्रमिक, कारीगर व मालिक उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

अकुशल कारीगरों की समस्या

कुटीर एवं लघु उद्योगों में अकुशल श्रमिकों की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि लघु उद्यमी न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिकों को उद्योग में रखते हैं, इसका कुप्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। अतः असल मजदूरी न मिलने के कारण भी कुशल कारीगर उपलब्ध नहीं होते हैं।

करभार की समस्या

सरकारी आदेशों में लघु उद्योगों कर मुक्त हैं। वास्तव में लघु उद्योग कर मुक्त है, परन्तु लघु उद्योग अनेकानेक करों का भुगतान करना पड़ता है। अतः कुटीर एवं लघु उद्योगों का कर भार ऐसा है जिससे उपभोक्ताओं पर भी विवर्तित नहीं किया जा सकता है।

कुशल प्रबन्ध व्यवस्था का अभाव

यदि कुटीर है, जिनमें लघु स्तरीय उत्पादन करने के लिए 75 लाख रु. तक की पूँजी विनियोजित करके 11 मजदूर से 50 मजदूर तक किराये पर रखकर कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

लघु उद्योगों की समस्यामुक्त करने के उपाय

लघु उद्योग में समस्यामुक्त करने के उपाय निम्नलिखिए हैं।

- **वित्त की व्यवस्था** – लघु उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था हेतु विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ जैसे— व्यापारिक बैंक व राज्य वित्त निगम आदि स्थापित होने चाहिए। जो सरलता से ऐसे उद्योगों को ऋण प्रदान करें। इसी प्रकार एवं लघु उद्योगों के लिए बैंक को ब्याज की दर भी कम होनी चाहिए, जिससे लघु उद्यमी भी तरलता अधिमान दे सकें।
- **कच्चे माल की उपलब्धता** – कच्चा माल सुगमता से लघु उद्यमियों को प्राप्त हो सकें, इसके लिए सरकार को कुछ टोस कदम उठाने हों चाहिए, जो सामान्य वस्तुओं से सम्बन्धित इकाइयों के कच्चे माल को उपलब्ध करायें।
- **तकनीकी सहायता** – तकनीकी सहायता से उद्यम की उत्पादन कुशलता में वृद्धि एवं उत्पादन लागत कम होती है। नवीन वस्तुओं का उत्पादन भी तकनीकी सहायता पर निर्भर है। यह तकनीकी सहायता सरकार को लघु उपकरण, यंत्र, विद्युत चालित मशीनों के रूप में कम कीमत पर उपलब्ध कराना चाहिए।

- **बड़े एवं लघु उद्योगों की आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त की जाए** – सरकार का दायित्व है कि लघु उद्योगों से निर्मित वस्तुओं का बाजार सुरक्षित किया जाये, जहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों से निर्मित वस्तुएँ नहीं विक्रय होनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि बड़े उद्योग प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसी इकाइयों पर निर्भर हो जायें।
- **करों में छूट** – चूँकि लघु इकाइयों के उत्पादक कर भार को वस्तुओं की कीमत पर विवर्तित नहीं कर पाते हैं। इसलिए लघु उद्योगों को शैशवावस्था में कर मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन लाभ में चलने वाली इकाइयों पर न्यूनतम कर भी लगाये जा सकते हैं।
- **विपणन सुविधाएँ** – सरकार को विपणन व्यवस्था हेतु कुछ ऐसे बाजार निर्मित करने चाहिए जहाँ ऐसे उद्योगों का माल विक्रय हो। इसके अलावा सरकार केन्द्रीय विपणन संस्थाओं की स्थापना करें, जो ऐसे उद्योगों से प्रत्यक्ष रूप में माल खरीदें और निर्यात की व्यवस्था करें, यदि सम्भव हो तो ऐसे उद्योगों को सस्ते परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- **उद्योगों में प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू हो** – सरकार को उन्नत किस्म का आकार एवं गुणवत्ता की दृष्टि प्रमाणीकरण के अन्तर्गत नमूना या ट्रेडमार्क प्रयोग करना चाहिए, जिससे कुछ उद्योग परिष्कृत हो सकें। यह व्यवस्था प्रारम्भ में दस्तकारी वस्तुओं, खेलकूद के सामान व लघु इंजीनियरिंग से प्रारम्भ होनी चाहिए।
- **निःशुल्क लाइसेंस** – लघु उद्योगों को निःशुल्क लाइसेंस देना आवश्यक है, क्योंकि लघु उद्योग स्थापित करते समय उद्योगियों को सर्वप्रथम लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया सरल नहीं है।
- **अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना एवं प्रशिक्षण** – इन उद्योगों को विकास करने के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित होने चाहिए, जो न्यूनतम लागत पर परिष्कृत उच्च कोटि की वस्तुएँ उत्पादित करने में उद्योगी का सहयोग करें। इसी प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था के अभाव में अकुशल श्रमिक की उन्हें उपलब्ध हो पाते हैं। अतः सरकार को "ट्रेनिंग सेन्टर्स" स्थापित करने चाहिए, जो निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करें।
- **प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन** – ऐसे उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए पृथक प्रदर्शनियाँ एवं मेलों का आयोजन किया जाए।
- **लघु उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री** – लेखन सामग्री का उत्पादन, आयुर्वेदिक फार्मसी, सौंदर्य व श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, प्रिंटिंग इंक उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, आइस – क्रीम उद्योग, डेरी उद्योग, कन्फैक्शनरी उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, वांशिग डिटरजेंट पाउडर, पापड, बडियाँ और चाट मसाला उद्योग, लैटेक्स रबड उद्योग, रबड की हवाई चप्पल बनाना, कटाई बिनाई आदि विभिन्न कार्य लघु उद्योग के स्तर पर हो रहे हैं। दरजी, बढई, लोहार आदि के परंपरागत पेशे इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग छोटे स्तर पर धातुकर्म, चमड़े का काम, विभिन्न मशीनों के पुर्जे बनाने का काम, ईट बनाने का काम, कागज की थैली बनाने का काम, कागज की थैली बनाने का काम आदि कर रहे हैं जो आधुनिक लघु उद्योगों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं।

लघु को बढ़ावा देने के लिये योजनायें

लघु को बढ़ावा देने के लिये योजनायें निम्नलिखित हैं।

- **उद्योगी मित्र पोर्टल** – सिडबी द्वारा एमएसएमई को क्रेडिट और हैंडहेल्डिंग सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये लॉन्च किया गया।
- **एमएसएमई संबंध** – केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

- **एमएसएमई समाधान** – एमएसएमई विलंबित भुगतान पोर्टल देश भर के सूक्ष्म और लघु उद्योग को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामलों को सीधे दर्ज करने के लिये सशक्त करेगा।
- **डिजिटल एमएसएमई योजना** – इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग शामिल है जहाँ एमएसएमई इंटरनेट का उपयोग आम और साथ ही दर्ज आईटी बुनियादी ढाँचे तक पहुँचने के लिये करते हैं।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** – यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक क्रेडिट लिंकड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- **पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की संसोधित योजना** – पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना और उनकी विपणन क्षमता को बढ़ाकर और उन्हें बेहतर कौशल से लैस करके उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना।
- **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये एक योजना** – नई नौकरियां पैदा करती हैं और बेरोजगारी को कम करती हैं।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम** – भारतीय एमएसएमई के बीच उनकी प्रक्रियाओं, डिजायन, प्रौद्योगिकी और बाजार पहुँच में सुधार करके वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक विकसित करना।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम** – लघु उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण के लिये क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाता है।

एमएसएमई के लिये प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना चालू है। टसलिए सरकार को मानव क्षमता विकास, ज्ञान सेवाओं वित्त तक पहुँच, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे, बाजार पहुँच और व्यापार करने में आसानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एमएसएमई के समग्र विकास के लिये टोस प्रयास करना जारी रखना चाहिए।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश राज्य परंपरागत रूप से कृषि प्रधान राज्य है। यह कि लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यह की अधिकांश जनसंख्या कृषि के बाद लघु उद्योगों को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। उन उद्यम के विकास पर मध्यप्रदेश एवं भारत देश का विकास निर्भर करता है। अब हमे मध्यप्रदेश एवं भारत देश को विकास के मार्ग पर ले जाना है, तो इन उद्यमों का विकास करना होगा। इनके मार्ग में आने वाली बाधाओं का उचित समाधान करके ही इनका विकास किया जा सकता है। लघु उद्योग राज्य के अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य मार्ग की कुँजी है जिसके द्वारा उसके साधनों का दिोहन तथा लाखों व्यक्तियों के उत्पादन की क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है। लघु उद्योगों के विकास के माध्यम से वर्तमान रोजगार सृजन कर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह क्षेत्र अकुशल श्रमिकों के कौशल को उन्नत कर उन्हें रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार भी इस हेतु प्रयत्नशील है। इस क्षेत्र की समस्याओं पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना होगा तभी यह क्षेत्र विकसित हो सकेगा। आधुनिक समय में लघु उद्योगों को नवीन प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जाए, जिससे यह उद्यम बड़े उद्यमों के समान बाजार में अपना प्रभुत्व कायम कर सकें। परिणामस्वरूप लघु उद्यम क्षेत्र स्वयं के विकास के साथ साथ राज्य एवं देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2022 – 23 भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2023 – 24 भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, इंदौर वार्षिक रिपोर्ट, 2022 – 23।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, इंदौर वार्षिक रिपोर्ट, 2023 – .24।
5. बागडी डालचन्द (2008). भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
6. शर्मा, वैष्णव (2007). विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
7. सिन्हा, वी.सी .(2003). अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
8. आनन्दस्वरूप (2002) अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
9. दैनिक. भास्क, इन्दौर।
10. टाइम्स ऑफ इंडिया।
11. उद्योग व्यापार, भोपाल. मासिक।
12. mospi.gov.in
13. www.msmeindore.nic.in
14. www.msme.gov.in
15. www.msme.nic.in
16. www.mpindustry.gov.in
17. Garg sonu and Agrawal parul, (2017), "Micro, Small and Medium Enterprises in india: A review of Growth and Challenges in the present scenario", International journal if applied business and economic research, ISSN: 0972 - 7302, vol - 15, p. p. 569 - 580.
18. Kumara, Lavanya R., (2017), "Impact of goods and service tax (GST) on Indian MSMEs", International journal of research in economics and social sciences (IJRESS), vol - 7, issue-7, p. p. 334 - 348, ISSN: 2249 - 7382.
19. Kumar Himani maggo, (2017), "Role of enterpreneurial development programmes in growth of entrepreneurship in india", international journal of latest technology in engineering management & applied science, (IJLTTEMAS), vol - vi, issue - vi, ISSN: 2278 -2540, p.p. 22 - 26.
20. Tripathi sourabh, (2016), "challenges faced by MSME sector in india", internation journal of science technology and management, vol - no. 5, issue - no 3 ISSN 2394 - 1537.
21. Hiramath s chaitra, (2016), "Overview of Indian MSME - An exploratory approach", international journal of advance research in computer science and management studies, vol - 4, issue - 4, ISSN 2321-7782.

